

संख्या-357/2026/आर0एफ0-263/नौ-9-2026/005-ई-2020830

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत,

वडहलगंज, जनपद-गोरखपुर/मुसाफिरखाना, जनपद-अमेठी/नवाबगंज, जनपद-
उन्नाव/मडराक, जनपद-अलीगढ़/राजेसुल्तानपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से व्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹0 653.52 लाख (रूपये छः करोड़ तिरपन लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 324.98 लाख (रूपये तीन करोड़ चौबीस लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पंचायत

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी०पी० आर० के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर।	1. आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज में वार्ड नं0-10 में मोहम्मद साईद के घर से छगुंरी गौड़ के घर व छोटे लाल के घर होते हुए मेन रोड तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली दक्कन सहित निर्माण कार्य।	70.00		
		2. आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज में वार्ड नं0-10 में मोहम्मद साईद के घर से छगुंरी गौड़ के घर व छोटे लाल के घर होते हुए मेन रोड तक सी0सी0 सड़क पर 7 मी0 आक्टागोनल पोल के साथ 90 वाट स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य।	30.00		
योग			100.00	100.00	50.00
2	नगर पंचायत, मुसाफिरखाना, जनपद-अमेठी।	1. वार्ड नं0-04 में मेन रोड से रैवले स्टेशन रोड तक 70 मीटर हाइट पोल सहित पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	28.87		
		2. वार्ड नं0-09 में बस स्टाप के सामने आउटडोर डिस्प्ले स्क्रीन लाइट अधिष्ठापन कार्य।	36.78		
		3. वार्ड नं0-03 में मेन रोड से स्टेडियम तक 7.0 मीटर हाइट पोल सहित पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	28.88		
		4. वार्ड नं0-08 में मेन रोड से श्रीराम लीला मैदान एवं बड़ी नहर तक 7.0 मीटर हाइट पोल सहित पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	28.87		
		5. नगर पंचायत मुसाफिरखाना में 200 वाट एल0ई0डी0 फ्लड लाइट अधिष्ठापन कार्य।	6.25		
		6. नगर पंचायत मुसाफिरखाना में 150 वाट रोड एण्ड स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	21.75		
		7. वार्ड नं0-09 में मेन रोड से इसौली रोड रेलवे क्रॉसिंग तक 7.0 मीटर हाइट पोल सहित पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	28.88		
		8. नगर पंचायत मुसाफिरखाना में 90 वाट रोड एण्ड स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	20.80		
योग			201.08	200.00	100.00
3	नगर पंचायत, नवाबगंज, जनपद-उन्नाव।	1. नगर पंचायत नवाबगंज के वार्ड नं0 08 में कानपुर हाइवे से मछली विभाग होते हुए माहित सोनी के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	27.37		
		2. नगर पंचायत नवाबगंज के वार्ड नं0 05 में पम्प नं0 02 से मुन्नी लाल के घर होते हुए शौखीन बाबा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	28.56		
		3. नगर पंचायत नवाबगंज के वार्ड नं0 03 में सेवक के मकान से श्रीराम बाबा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.17		
		4. नगर पंचायत नवाबगंज की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर एल0ई0डी0 लाइट, ब्रेकेट क्लैम्प आदि की आपूर्ति का कार्य।	31.86		
योग			99.96	99.96	49.98

4	नगर पंचायत, मडराक, जनपद-अलीगढ़।	1. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 10 में जयमेश के घर से छीतर सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.54		
		2. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 10 में विनोद के घर से सुनील के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.57		
		3. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 14 पालीरजापुर में हैल्थ सेन्टर से बुद्ध पाल के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.98		
		4. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 06 नगला पूरनमल में सोनू के घर से इन्द्रा के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.66		
		5. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 13 में दीपक के घर से ओमप्रकाश सिंह के घर तक एवं बाबूद्दीन के घर से मालती के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.42		
		6. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 07 पालीरजापुर में शीलू ठाकुर के घर से जूनियर स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.70		
		7. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 14 में जगदीश बघेल के घर से ओमप्रकाश के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.04		
		8. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 14 कुलदीप मेम्बर के घर से अनिल के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.96		
		9. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 07 चन्द्रपाल के घर से भूरा दिवाकर के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.70		
		10. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 07 शीलू के घर से कुवरपाल कश्यप के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.39		
		11. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 07 प्रेमप्रकाश शर्मा के घर से डोरीबाबा कश्यप के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.60		
		12. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 07 मोनू के घर से पवन सत्संगी के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.12		
		13. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 8 में पथवारी मंदिर से किशन पुत्र उदयवीर सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.80		
		14. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत चार अलग-अलग स्थानों पर 12.5 मीटर हाईमास्ट मय 200 वाट फ्लड लाइट अधिष्ठापन कार्य।	19.06		
		15. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत मुकन्दपुर में सतीश कुमार शर्मा के घर से दाऊद खां स्टेशन तक 8 मीटर ऑक्टागोनल पोल मय एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	33.37		
		16. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत शनीदेव मंदिर से नारायण दास आश्रम तक एवं नेत्रपाल के घर से सोमप्रकाश के घर	7.56		

		तक 9 मीटर ऑक्टागोनल पोल मय एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।			
		17. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 7 पालीरजापुर में लखमी के घर से दिनेश चन्द्र शर्मा के खेत तक 8 मीटर ऑक्टागोनल पोल मय एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	8.50		
		18. नगर पंचायत मडराक के अन्तर्गत वार्ड 9 अटल चॉक में आटा मील से डालचन्द्र के ट्यूबैल तक 8 मीटर ऑक्टागोनल पोल मय एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	30.40		
		योग	200.73	200.00	100.00
5	नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर	1. नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर में वार्ड नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में मिनी हाईमास्ट लाइट लगाने का कार्य।	37.07		
		2. नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर में वार्ड नं0 11, 12, 13 में मिनी हाईमास्ट लाइट लगाने का कार्य।	14.68		
		योग	51.75	50.00	25.00
		कुल योग (नगर पंचायत : अनुदान सं0-37)	653.52	649.96	324.98

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को व्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किशतों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत विल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र० लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपवद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, 30प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

- (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
- (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- (23) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 324.98 लाख (रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-374-X-2025-26, दिनांक-06.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by भवदीय,
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 07-03-2026.
13:22:41 (संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-357/2026/आर0एफ0-263/नौ-9-2026/005-ई-2020830, तद दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. वजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-गोरखपुर/अमेठी/उन्नाव/अलीगढ़/अम्बेडकरनगर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. पी0एम0यू0 यूनिट/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-07/03/2026


प्रेषण संख्या:- 357
आवंटन आदेश संख्या:- 001-357-2026-RF-263-9-9-2026-005-E-2020830
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	अलीगढ़-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 83210000	10000000 83210000
2	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 130683000	5000000 130683000
3	उन्नाव-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4998000 59988000	4998000 59988000
4	अम्बेडकर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 22496500	2500000 22496500
5	अमेठी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	32498000 306377500	32498000 306377500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौबीस लाख अठानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीस करोड़ तिरेसठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ


(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव